# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15 जैसलमेर रोड ,बीकानेर राजस्थान

क्रमांक :प.04 ( )/मगसविबी/सा.प्र./ /2018/ 20978　　　　　　दिनांक : 04/10/18

## निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में वार्षिक दर संविदा के लिए अनुभवी, पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से अनुबंध निष्पादन कि तिथि से एक वर्ष के लिए मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :

| क्र. सं | कार्य का नाम | अनुमानित लागत (लाखों में) | धरोहर राशि रू. | निविदा शुल्क रू |
|---|---|---|---|---|
| 1. | विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक आपूर्ति | 2.50 | 5,000/- | 200/- |
| 2. | विश्वविद्यालय में किराए पर जनरेटर व्यवस्था | 5.00 | 10,000/- | 200/- |
| 3. | माइक्रोसॉफ्ट अधिकृत फर्मो द्वारा कैंपस रिन्यूअल | 3.65 | 7,300/- | 200/- |

नोट : 1. बिना धरोहर राशि, सशर्त,अपूर्ण निविदाएँ मान्य नहीं होगी 2. उक्त कार्य के लिए मोहरबंद निविदाएँ पृथक-पृथक लिफाफे में जिस पर निविदा कार्य का नाम अंकित हो, धरोहर राशि मय निविदा शुल्क सहित दिनांक 25.10.18 को मध्यान्ह 1:00 बजे तक कुलसचिव कक्ष में जमा की जायेंगी एवं उसी दिन मध्यान्ह 03:00 बजे निविदायें खोली जायेंगी 3. अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में निविदा प्राप्त कर खोली जायेगी 4.निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.mgsubikaner.ac.in** एवं **http:// sppp .rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है, उक्त निविदा प्रपत्र एवं शर्तें डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती हैं 5. डाक द्वारा निविदाएँ मान्य नहीं होंगी।

कुलसचिव

1/15

# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

## जनरेटर व्यवस्था हेतु वार्षिक दर संविदा प्रपत्र

## निविदा–पत्र

| | | | |
|---|---|---|---|
| कार्य का नाम– | **जनरेटर व्यवस्था** | निविदा फार्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा करने की अवधि | 25.10.18 मध्यान्ह 01:00 बजे तक |
| निविदा कमांक– | दिनांक 20978/ 04.10.18 | निविदा खोलने की तिथि | 25.10.18 मध्यान्ह 03:00 बजे |
| अनुमानित लागत धरोहर राशि निविदा शुल्क | जेनरेटर : व्यवस्था रू.5,00,000/-, रू.10,000/- रू.200/- | | |

1. ............................(वस्तुओं का नाम जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिये निविदा ।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का नाम **(मय दूरभाष/मो.न.)** ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण संख्या.................................................. .................................(प्रति संलग्न है।)
4. किनको सम्बोधित किया गया.................................................................................................................................................................................................................................................
5. संदर्भ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. निविदा शुल्क की राशि ........................................नकद रसीद...........................एवं दिनांक.........................................द्वारा रेखांकित पोस्टल ऑर्डर/ ड्राफ्ट संख्या...........................................................के द्वारा जमा करा दी गई हैं ।
7. निविदा सूचना संख्या .............दिनांक ...... में वर्णित सभी **शर्तों** से तथा संलग्न **शीट** में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से **हम** बाध्य होना स्वीकार करते हैं । (इनके सभी पृष्ठों पर इनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे हमनें हस्ताक्षर कर दिये हैं ।)
8. फर्म को विश्वविद्यालय भवन, कुलपति आवास, बड़ी नाल गाँव तथा बीकानेर शहर में स्थित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में सेवाओं की प्रदायगी करनी होगी ।

9. फर्म को आदेश प्राप्त होते ही निर्धारित दिनांक को निर्धारित समय से तीन घंटे पूर्व समस्त व्यवस्था करनी होगी । आदेशित किये गए समय से अगले 24 घंटे की सेवायें प्राप्त करते हुए एक दिवस का कार्य मानते हुए विश्वविध्यालय द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।

10. उपर **उद्दृत** की गई दरें एक वर्ष तक की अवधि के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया जा सकेगा।

11. बैंक ड्राफ्ट /बैंकर चैक संख्या................**दिनांक**.........**राशि**........जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है, धरोहर राशि के पेटे संलग्न किया **गया** है।

12. निविदा पत्र के साथ **GST प्रमाण** पत्र संलग्न है।

13. पूर्व में विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।(यदि हो तो प्राथमिकता दी जायेगी)

**निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर**

# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

## जनरेटर व्यवस्था हेतु वार्षिक दर संविदा प्रपत्र

1. निविदादाता का नाम (फर्म) का पूरा पता :...............................................................
2. फर्म एकल/भागीदारी (दस्तावेजों की सत्यप्रति संलग्न करें):...............................................................
3. भागीदारों के नाम :...............................................................
4. नाम जो लेनदेन करेगा मय अधिकार पत्र की प्रति :...............................................................
5. बैंक जिसके माध्यम से लेनदेन करते है :...............................................................
6. दरें नीचे लिखी तालिका में अंकित करें :

## (अ) मांग अनुसार किराए पर जनरेटर व्यवस्था:

| क्र.सं. | विवरण जनरेटर व्यवस्था मय आपूर्ति, मज़दूरी एवं आवश्यक सामग्री स्थापना-हटाना | मापदण्ड | दर समस्त कर सहित (रूपयें प्रति आईटम **प्रतिदिन बीकानेर शहर में** ) | दर समस्त कर सहित (रूपयें प्रति आईटम **प्रतिदिन बड़ी नाल गाँव के लिए**) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | साइलेंट जनरेटर किराया मय ऑपरेटर 5 केवीए (डीजल रहित) | Per day | | |
| 2. | साइलेंट जनरेटर किराया मय ऑपरेटर 25 केवीए (डीजल रहित) | Per day | | |
| 3. | साइलेंट जनरेटर किराया मय ऑपरेटर 62केवीए (डीजल रहित) | Per day | | |
| 4. | साइलेंट जनरेटर किराया मय ऑपरेटर 125केवीए (डीजल रहित) | Per day | | |

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Kuldeep Jain

(4)

(ब) विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन एवं अकादमिक भवन पर स्थापित जनरेटर का रखरखाव एवं संचालन

| क्र.सं. | विवरण<br>जनरेटर व्यवस्था<br>मय आपूर्ति, मज़दूरी एवं आवश्यक सामग्री | मापदण्ड | दर समस्त कर सहित (प्रतिमाह) |
|---|---|---|---|
| 1. | विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन में स्थापित जनरेटर के रखरखाव एवं संचालन हेतु मैनपावर व डीज़ल सहित किराए की दर | (प्रतिमाह) | |
| 2. | विश्वविद्यालय के अकादमिक भवन में स्थापित जनरेटर के रखरखाव हेतु मैनपावर व डीज़ल सहित किराए की दर | (प्रतिमाह) | |

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Kuldeep Jain

# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं यथा जेनरेटर हेतु वार्षिक दर संविदा की शर्तें

1. विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित निविदा प्रपत्र पर प्रत्येक मद की पृथक-पृथक दर देनी होगी । अन्य किसी फार्म/कागज पर भेजी गई निविदा अस्वीकार होगी। जिस मद में निविदा भरी जावे उसके लिए अनुमानित लागत की दो प्रतिशत की दर से धरोहर राशि निविदा के साथ लगानी होगीं ।
2. किसी प्रकार की प्रति–शर्त ( काउन्टर कंडीशन ) मान्य नही होगी।
3. धरोहर राशि के बिना निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. निविदा में अंकों एवं शब्दों में दर प्रस्तुत की जावे एवं अंकित दर में किसी प्रकार की काट–छांट नही होनी चाहिए। किसी कारण काट–छांट की गई तो उस पर पूरे हस्ताक्षर निविदादाता के होना आवश्यक है अन्यथा उसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. मांग पर सप्लाई न करने पर प्रतिभूति राशि ज़ब्त कर ली ज़ायेगी ।
6. विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की पेशगी (अग्रिम) नहीं दी जावेगी ।
7. समस्त सामान की सुरक्षा व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी ।
8. विश्वविद्यालय की आवश्यकता एवं आदेशनुसार चाहा गया सामान निविदाकार के व्यवसायिक स्थल से उपयोग स्थल तक लाने ले जाने का, लगाने एवं हटाने/समटने एवं सम्पूर्ण सुरक्षा का दायित्व निविदादाता का होगा । विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कार्यों के लिये किसी भी प्रकार किराया भाडा एवं मजदूरी /अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी । कार्य /सेवा में विलम्ब एवं अव्यवस्था होने पर बिल राशि की 10% तक शास्ति आरोपित की जायेगी ।
9. दरें समस्त कर सहित एफ.ओ.आर होगी । अलग से किसी प्रकार का कोई कर/वैट/शुल्क आदि देय नहीं होगा ।
10. समस्त व्यवस्थाओं का कार्यक्रम की दिनांक का ही किराया देय होगा । एक दिन पहले अथवा एक दिन बाद का देय नही होगा।
11. समस्त व्यवस्थाओं का प्रभारी अधिकारी/कार्यक्रम समिति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा तथा फर्म द्वारा निर्देशानुसार ही कार्य संपादित किया जाएगा ।

12. विश्वविद्यालय में स्थापित जनरेटर के रखरखाव एवं संचालन की दरें कार्यालय समय (प्रातः 10:00 बजे से सांय: 05:00 बजे) के लिए दी जानी है ,तथापि विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार कार्यालय समय से पूर्व/उपरान्त भी संचालन किया जाना अनिवार्य है । अतिरिक्त समय में जनरेटर संचालन हेतु प्रभारी अधिकारी के प्रमाणन के आधार पर अनुपातिक दर (प्रति घंटा) की 50% राशि का भुगतान किया जाएगा ।

13. दरें एक वर्ष के लिए अनुमोदित की जायेंगी, जिसे आपसी सहमती से घटाया/ बढाया जा सकता है विश्वविद्यालय की मांग एवं आवश्यकता अनुसार समय-समय पर आपूर्ति करनी होगी ।

14. फर्म द्वारा कार्यक्रम दिवस पर समुचित व्यवस्था न करने पर स्थानीय बाज़ार से निविदाकार की रिस्क एंड कास्ट पर अन्य फर्म से कार्य करवाया जा सकेगा, जिससे होने वाले नुकसान की भरपाई निविदा दाता को करनी होगी ।

15. जनरेटर /सेवा आपूर्ति का भुगतान प्रभारी अधिकारी के प्रमाणन उपरान्त किया जाएगा_ ।

16. कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की टूट फूट या क्षति के लिए निविदादाता उत्तरदायी होगा ।

17. दरें अनुमोदित होने पर सफल निविदादाता द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि समायोजन करने के पश्चात् बकाया प्रतिभूति राशि 3 % जमा कराते हुए नियमानुसार राशि के नॉन ज्युडिशिअल स्टाम्प पर सात दिवस के अंदर–अंदर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

18. सक्षम प्राधिकारी समस्त अथवा किसी भी निविदा को बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने अथवा अधिक अधिक मदों हेतु आमंत्रित निविदा में एक से अधिक निविदा दाताओं को विभिन्न मदों में न्यूनतम होने पर पृथक-पृथक दर स्वीकृत की जा सकती है ।

19. सम्बंधित व्यवसाय में पंजीकृत/कार्यरत/अनुभवी फर्म ही निविदा में भाग लें I अनुभवी फर्मों को प्राथमिकता दी जावेगी ।

20. **धरोहर राशिः–**

(i) निविदा के साथ धरोहर राशि नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक (कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पक्ष में) के द्वारा जमा होनी चाहिए जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) धरोहर राशि निविदा के अंतिम रूप से स्वीकार किये जाने एवं अनुबंध हो जाने के बाद यथाशीघ्र विफल निविदादाता को प्रत्यार्पित कर दी जायेगी। सफल निविदाकार को करार के समय सामग्री मूल्य की पॉच प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी, जिसमें उनके द्वारा जमा धरोहर राशि का समायोजन कर लिया जावेगा शेष प्रतिभूति राशि भी नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(iii) राजस्थान के लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों **को** निदेशक उद्योग विभाग द्वारा जारी किए पंजीयन प्रमाण–पत्र, क्षमता प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर 0.5 प्रतिशत धरोहर राशि **जमा करानी होगी** तथा आदेशित मूल्य **की** 1 प्रतिशत प्रतिभूति राशि ली जावेगी।

(iv) केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार के उपक्रमों से उपरोक्तानुसार धरोहर राशि तथा प्रतिभूति निक्षेप देने की अपेक्षा नहीं की जावेगी।

**21. <u>निविदा की स्वीकृति, अनुबंध एवं प्रतिभूति राशिः–</u>**

(i) किसी भी निविदा को स्वीकार करने में महाराजा गंगासिहं विश्वविद्यालय, बीकानेर के लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्युनतम दर की निविदा हो।

(ii) विश्वविद्यालय के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन वस्तुओं के लिए निविदा की गयी है, उनकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग **की आपूर्ति के लिए** के लिए विश्वविद्यालय **द्वारा** आदेश दिए जा सकते हैं । विशेष परिस्थिति में सामग्री **आपूर्ति की मात्रा में** पचास प्रतिशत तक वृद्धि एवं कमी की जा सकती है।

(iii) सफल निविदादाताओं को अपने खर्चे पर निविदा स्वीकार करने की सूचना जारी होने के दस दिवस में निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगीः–

1. निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा।
2. संविदा के यथावत क्रियान्विती के लिए प्रस्तावित कार्यादेश के मूल्य के 5 प्रतिशत बराबर प्रतिभूति राशि नगद/ड्राफ्ट द्वारा तीन दिवस में जमा करानी होगी। यदि निविदादाता विहित कालावधि में प्रतिभूति राशि जमा कराकर करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो **इसे निविदा के** निबंधनों तथा शर्तों का भंग होना माना जाएगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। तदुपरान्त **विश्वविद्यालय द्वारा** बिना नोटिस अन्य निविदादाताओं को क्रय आदेश देने का अधिकार होगा। प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग इकाई को शर्त में वर्णित सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर सफल निविदादाता को नियमानुसार छूट दी जावेगी। प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

(iv) निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संतोषप्रद ढ़ंग से पूरा **नहीं** करने पर क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त करली जावेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय का विनिश्चय ही अंतिम होगा।

(v) प्रतिभूति राशि **निविदा की शर्तानुसार कार्य संतोषप्रद ढंग से पूर्ण होने** एवं संविदा **की कार्यावधि** पूर्ण होने के पश्चात् लौटाई जावेगी । प्रतिभूति राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

(vi) धरोहर राशि अथवा प्रतिभूति राशि का विप्रेक्षण व्यय (रिमिटेंस चार्जेज) संविदादाता द्वारा वहन किए जाऐंगे।

22. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार **होंगे**

23. विवाद होने पर **केवल** बीकानेर **स्थित** न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया **जा सकेगा** ।

24. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को माननीय कुलपति को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

**कुलसचिव**

मै/हम घोषित करता हूं/करते है कि मैने/हमने पूर्ण सावधानी पूर्वक उपर्युक्त सभी शर्ते स्वीकार करते हैं।

**निविदादाता के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर**

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

अनुलग्नक–"अ"

## सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदेका कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

## हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Tender

(10)


# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर


अनुलग्नक "ब"

## निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोशणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक.................दिनांक......................के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अतंर्गत यह घोशणा करते है कि

01. मै/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तिय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते है ।
02. मै/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते है ।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोशित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान गत तीन वर्शें में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रकिया से निष्कासित नही किया गया है ।
05. मै/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो ।

स्थान : ..............................
तारीख : ............................

निविदादाता के हस्ताक्षर

Kuldeep Singh

# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर


अनुलग्नक "स"

## निविदा प्रकिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.............कुलसचिव महाराजा गगांसिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर
द्वितीय अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.............कुलपति महाराजा गगांसिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर

1. यदि केाई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लघन में हे तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चिय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व –अर्हता दस्तावेजो या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगाः

परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोशणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया हैः
परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वितिय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वितिय बोली के मामले से सबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है ।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा – 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव श्रीध विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा ।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित हे तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितिय अपील दाखिल कर सकेगा ।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा ।
   अर्थातः
   कः उपापन की आवश्यकता का अवधारण
   ख बोली प्रकिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध
   ग. यह विनिश्यक की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं
   घ. निबन्धनों में उपापन प्रकिया का रद्दकरण
   ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना ।
4. **अपील का प्ररूप**.– (1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

Kuldeep Jain

# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर


(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

**5. अपील फाइल करने के लिए फीस.–**

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

**6. अपील के निपटारे की प्रक्रिया.–**

(1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

**निविदादाता के हस्ताक्षर**

Kuldeep Jain

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

प्ररूप सं. 1
(नियम 83 देखिए)
राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

............................. की अपील सं. ............................
(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) .................................. के समक्ष
1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :
(i) अपीलार्थी का नाम :...............................................................................
(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :.............................................................
(iii) आवासिक पता :
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :
(i)
(ii) .
(iii)
3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :
6. अपील का आधार :
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
...................... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)
भाग 4 (ग) राजस्थान राज–पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)
7. प्रार्थना : ..........................................................................
..........................................................................................
..........................................................

स्थान : .............................
तारीख : ...........................
अपीलार्थी के हस्ताक्षर

Kuldeep Jain

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

अनुलग्नक "द"

## निविदा की अतिरिक्त शर्ते

1. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार**

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर,सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय का त्रुटियों सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार.**– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

**परिमाण में परिवर्तन का अधिकार**.–

(1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।

3. . **अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.**–

सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त

# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्तारक्षर मय सील